हिन्दी भाषा के समक्ष चुनौतियॉं

एस0एस0 उपाध्याय
पूर्व जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
पूर्व विधिपरामर्शी श्रीराज्यपाल
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

व्यवस्थित मानव समाज के अस्तित्व में आने के पूर्व से ही मनुष्य को अपने भावों व विचारों को एक–दूसरे तक सम्प्रेषित करने के लिए शब्दों की आवश्यकता रही है । शब्दों के प्रचलन के साथ कालान्तर में शब्द–समूहों से वाक्य–संरचना एवं उससे भाषा का प्रादुर्भाव हुआ । भारतीय चिंतन परम्परा में नादेव ब्रम्ह कहते हुए ध्वनि को ही ब्रम्ह् अथवा अक्षर (कभी न नष्ट होने वाला) माना गया है । भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत भाषा का अतुलनीय योगदान रहा है । भाषाओं का विकास क्रम निम्नांकित प्रकार कहा जाता है....1. वैदिक संस्कृत, 2. लौकिक संस्कृत, 3. प्राकृत, 4. पालि, 5. अपभ्रंश एवं 6. हिन्दी । इस प्रकार आधुनिक हिन्दी भारतीय भाषाओं के विकासक्रम में अपनी आदि–जननी संस्कृत भाषा की छठी पीढ़ी की संतान है । संस्कृत भाषा से उत्पन्न होने के कारण हिन्दी भाषा भी संस्कृत भाषा की भांति ध्वन्यात्मक भाषा (Phonetic Language) की कोटि में आती है । भाषा वस्तुतः प्रयोग से बनती है, प्रयोगशाला में नहीं । भाषा केवल विचारों के अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है अपितु संस्कृति की भी वाहक होती है ।

संविधान के प्रवर्तित होने के पूर्व भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया था । संविधान के अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए अनुच्छेद 351 में निर्दिष्ट किया गया है कि संघ राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए सतत प्रयत्न करेगा और ज्ञान–विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नए शब्द संस्कृत भाषा से लिए जावेंगे । वाक्य विन्यास में हिन्दी और उर्दू में भी एकरूपता है क्योंकि दोनों के कारक चिन्ह् क्रियावाचक शब्द एक ही हैं । संस्कृत भाषा में 2,000 धातुएं, 09 प्रत्यय, 03 पुरुष, 03 वचन, 03 लिंग, 07 विभक्तियॉं और 22 उपसर्ग होते हैं और यदि कृदन्त व तद्धति आदि प्रत्यय की सहायता से शब्द रचना की जावे तो एक ही धातु से लगभग 11,00,000 शब्द बनाए जा सकते हैं । इस प्रकार संस्कृत भाषा की 2,000 धातुओं से कई करोड़ शब्दों का निर्माण किया जा सकता है । भाषाविद् तथा संविधान सभा के सदस्यगण इस तथ्य से परिचित थे कि हिन्दी भाषा की आदि जननी संस्कृत भाषा में न केवल विपुल शब्द भण्डार विद्यमान है अपितु इसमें नए शब्दों के निर्माण की भी अपरिमित क्षमता है और संस्कृत भाषा से उपजी होने के कारण हिन्दी भाषा में भी नए शब्दों के निर्माण की अपार सामर्थ्य है ।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के मार्ग में केवल अंग्रेजी भाषा अथवा उसका सतत विस्तार ही एक मात्र बाधा नहीं है अपितु राष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य के फलस्वरूप भी हिन्दी अपेक्षित राज्याश्रय से वंचित रही है और संविधान के स्पष्ट निर्देश के उपरांत भी हिन्दी को अभी राष्ट्रभाषा व राजभाषा के रूप में अपना यथोचित स्थान प्राप्त करना शेष है ।

ज्ञान–विज्ञान के विविध क्षेत्रों में हिन्दी भाषा में अंग्रेजी सहित अन्य दूसरी भारतीय भाषाओं के शब्द लगातार समावेषित किए जाते रहे हैं । देश के स्वतंत्र होने के उपरान्त वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा हिन्दी भाषा के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के निराकरण के लिए तथा सम्पूर्ण राष्ट्र में हिन्दी भाषा के

प्रचार–प्रसार के लिए राजभाषा आयोग, 1956 का गठन किया गया था और उसके उपरांत प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के बाद इस प्रकार के राजभाषा आयोग गठित किये जाते रहे और उनके प्रतिवेदन भी आते रहे परन्तु राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न अन्य समस्याओं व चुनौतियों के सापेक्ष हिन्दी भाषा के उन्नयन व प्रचार–प्रसार के कार्य को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल सकी जिसके फलस्वरूप हिन्दी का प्रचार–प्रसार उतनी तीव्रता व व्यापकता से सम्भव नहीं हो सका जितनी होना चाहिए था । वर्ष 1963 में इसी कारण भारत की संसद ने राजभाषा अधिनियम, 1963 नामक कानून भी बनाया परन्तु उक्त केन्द्रीय कानून के बाद भी राष्ट्रभाषा हिन्दी राज–काज की भाषा के रूप में अपना अभीष्ट स्थान नहीं प्राप्त कर सकी है और इस प्रयोजन हेतु अभी–भी हिन्दी व हिन्दी प्रेमियों का संघर्ष जारी है ।

विधि और न्याय के क्षेत्र में हिन्दी ने लम्बी दूरी तय की है । उत्तर भारतीय हिन्दी भाषी प्रान्तों में जनपदीय न्यायालयों में हिन्दी का उपयोग दशकों से व्यापक पैमाने पर हो रहा है परन्तु उच्च न्यायालयों में, अपवादों को छोड़कर, अभी–भी हिन्दी भाषा को प्रतिष्ठित होना शेष है । विधि और न्याय के क्षेत्र में हिन्दी के शब्दों के मानकीकरण की भी समस्या रही है । न्यायालयों में हिन्दी भाषा के प्रयोग के साथ ही इस आशय की कठिनाई भी महसूस की गयी कि विधि और न्याय के क्षेत्र में शब्दों का उपयोग उनके अतिनिश्चित अथवा भ्रमात्मक अर्थों में नहीं किया जा सकता है । न्यायालयों द्वारा हिन्दी के शब्दों के निर्वचन (Interpretation) में महसूस की जाने वाली कठिनाइयों तथा विधिक शब्दों के मानकीकरण के प्रयोजन से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग, 1961 की स्थापना की गयी और उसकी संस्तुतियों के फलस्वरूप विधि व न्याय के क्षेत्र में प्रयुक्त किये जाने के आशय से विधि शब्दावली (Legal Glossary) का प्रकाशन किया गया । अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गयी विरासत के फलस्वरूप भारतीय न्याय व्यवस्था इंग्लैण्ड की न्याय व्यवस्था से उद्भूत होती है । असम, बंगाल एवं आगरा सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 के पूर्व तथा उसके दशकों बाद तक भी भारतीय जनपद न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी रही है । पिछले लगभग 03 दशक में उत्तर प्रदेश सहित अन्य हिन्दी भाषी प्रान्तों में अधिवक्ताओं की नई पीढ़ी ने न केवल जनपद न्यायालयों में अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ा अपितु अधिकाधिक रूप से हिन्दी भाषा में वादपत्र, वादोत्तर, शपथपत्र, आवेदन व अन्य विविध दस्तावेज तैयार करने के कार्य को गति प्रदान की । परिणामतः आज जनपद स्तरीय न्यायालयों में लगभग शत–प्रतिशत कार्य हिन्दी भाषा में सम्पन्न हो रहा है । उत्तर प्रदेश की विधान सभा द्वारा भी उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद स्तरीय न्यायालयों में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी के प्रयोग को अनिवार्य बनाते हुए वर्ष 1970 में उ0प्र0 अधीनस्थ न्यायालय (राजभाषा) अधिनियम, 1970 पारित व प्रवर्तित किया गया और अब जनपद न्यायालयों में लगभग समस्त स्तर पर सम्पूर्ण कार्य हिन्दी भाषा में हो रहा है जो नितान्त उत्साहवर्धक है ।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1650 तक स्वयं इंग्लैण्ड में भी न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी नही थी, अपितु इंग्लैण्ड के न्यायालयों में भाषा के रूप में लैटिन, फ्रेंच व रोमन भाषा का वर्चस्व था जिन्हें जब इंग्लैण्ड के शासकों द्वारा राजाज्ञाओं के द्वारा नहीं हटाया जा सका तो कानून बनाकर न्यायालयों में उपरोक्त विदेशी भाषाओं के प्रयोग को दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया और तब इंग्लैण्ड के न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व स्थापित हुआ ।

हिन्दी को लेकर अपने देश के संदर्भों में उस प्रकार का प्रयोग शायद सम्भव नहीं होगा परन्तु संविधान सभा के विद्वानों व संविधान के विभिन्न निर्देशों के आलोक में आशा की जानी चाहिए कि हिन्दी

भाषा कभी न कभी न केवल संघ के राज–काज की भाषा के रूप में अपितु प्रत्येक भारतीय द्वारा बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान निर्दिष्ट अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकेगी ।

हिन्दी की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा के शब्दों में ''**जब तक हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में सम्पूर्ण भारत में नहीं बोली जाती तब तक राष्ट्र गूंगा व बहरा रहेगा** ।'' महान साहित्यकार व हिन्दी सेवी भारतेन्दु हरिश्चन्द के शब्दों में .....''**निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति बिना, मिटे न हिय को शूल**'' राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी के अनुसार... ''**जिसमें न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, निरा पशु है, और मृतक समान है** ।''

*****